न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 31/2002 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2002/00013

उनवान

1. दिलीपा पुत्र बलबन्त जाति नाई निवासी अजीतापुरा तहसील राजाखेडा (फौत)
   1/1. जालिम सिंह } पिस0 दिलीपा
   1/2. ओमप्रकाश }
   1/3. विशम्भर सिंह }
   1/4. मीरा वेवा सिरदार सिंह पुत्र दिलीपा
   1/5. राजू } पुत्र सिरदार सिंह
   1/6. छत्रपाल } पुत्र दिलीपा
   1/7. रज्जो } पुत्री सिरदार सिंह
   1/8. सुमन } पुत्री दिलीपा
   1/9. किरनदेई } पुत्री दिलीपा
   1/10.कमला }
   1/11.पांचो वेवा दिलीपा (फौत)
   } जाति नाई नि0 अजीतापुरा तहसील राजाखेडा।
2. फतेह सिंह पुत्र बद्री जाति नाई निवासी अजीतापुरा तहसील राजाखेडा।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. औंकार } पुत्र कन्हैया कौम नाई निवासी अजीतापुरा राजाखेडा।
2. सोरन }

..... असल रैस्पोडेण्ट

3. प्रागो पुत्री बद्री पत्नि बंगाली निवासी अजीतापुरा तहसील राजाखेडा।
4. शीला पुत्री बद्री पत्नि अतर सिंह नाई निवासी चीत तहसील खैरागढ।
5. कलावती विधवा बद्री नाई निवासी अजीतापुरा राजाखेडा।
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।
7. भूमि विकास बैंक जरिये प्रबंधक धौलपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 19.04.2002 प्रकरण संख्या क्रमशः 96/94 शीर्षक औंकार बनाम दिलीपा न्यायालय सहायक कलक्टर राजाखेडा।

अभिभाषकगण :–

1. श्री राजेन्द्र सिंह राणा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री निशान्त भार्गव अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–28.05.2024

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, राजाखेडा के निर्णय दिनांक 19.04.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 तथा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प धौलपुर

शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 236 व 237 जो क्रमशः 224 व 225 से बने हैं वाके ग्राम अजीतपुर तहसील राजाखेडा में स्थित है। विवादित आराजी में वादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 के पिता कन्हई 1/2 भाग के तथा बलवंत व बद्री 1/2 भाग के खातेदार कृषक थे। इन सभी का निधन हो चुका है। कन्हई के वारिस वादीगण/रैस्पों0 संख्या 01 व 02 हैं तथा बलवंत व बद्री के वारिस प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट व रैस्पो संख्या 03 से 05 हैं। इस प्रकार विवादित आराजी में वादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 व 02, 1/2 भाग के तथा प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट व रैस्पो0 संख्या 03 लगायत 05 कुल 1/2 भाग के खातेदार कृषक हैं तथा इसी अनुसार काबिज हैं। परन्तु प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट के पिता ने वादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 के पिता कन्हई का नाम राजस्व अभिलेख से दौराने बन्दोबस्त लोपित करा दिया एवं सम्पूर्ण आराजी अपने नाम करा ली। अतः वाद प्रस्तुत कर स्वत्व घोषणा, विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो तनकीयात कायम की गयी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण तनकी संख्या 01 है, जिसको साबित करने का भार रैस्पो0 पर था। तनकी संख्या 01 को रैस्पो0 के पक्ष में साबित मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। रैस्पो0 को इस तनकी में यह साबित करना था कि रैस्पो0 विवादित आराजी में 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे और मौके पर काबिज थे। अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेजी साक्ष्य रैस्पो0 की ओर से प्रस्तुत की गयी है। उसमें एक जमाबन्दी संवत 2018–21 प्रस्तुत हुयी है जिसमें कन्हई 1/2 भाग का तथा बलवन्त घ बद्री 1/2 भाग के अंकित है। उक्त इंद्राजो से यह तो स्पष्ट है कि रैस्पो0 का नाम संवत 2018–21 की जमाबन्दी में अंकित है। अब प्रश्न आता है कि रैस्पो0 के पिता कन्हई का जो नाम अंकित था उस नाम के आधार पर रैस्पो0 को 1/2 भाग का खातेदार मान लिया जावे या नहीं ? इस संबंध में अपीलांट का कथन है कि क्योंकि स्व0 कन्हई संवत 1992 के अन्दर ही गॉव अजीतापुरा छोड कर जा चुका था और कब्जा अकेले अपीलाण्टस को सौंप चुका था। अपीलाण्ट के कब्जे का सबूत नकल खसरा गिरदावारी संवत 2019 से 23 से हो रहा है। ज़िसमें कब्जा बलवन्त व बद्री का बतलाया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा गिरदावरी के इन्द्राजो को कोई महत्व नहीं दिया। यह है कि अपीलाण्ट के इन्द्राज विवादित आराजी पर संवत 2022 में आ चुके थे। बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी पर कन्हई का कब्जा नहीं होने एवं विवादित आराजी पर बद्री व बलवन्त का कब्जा होने के आधार पर कन्हई की जानकारी में ही अपीलाण्ट के इंद्राज कराये गये। उक्त इन्द्राजो को कन्हई ने अपने जीवनकाल में चुनौती नहीं दी गयी। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। जबकि अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। अतः कब्जे के अभाव में दावा पोषणीय नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2011(2) पेज 1170, 2012(1) पेज 693, 358 का

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधि
भरतपुर कैम्प धौलपुर

उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। यह है कि अपीलांट कन्हई का संवत 1990 में गॉव छोडकर चले जाना और विवादित आराजी उनको दे जाना का कथन करते हैं। यदि यह सत्य होता तो इतने वर्षो में कोई भी टीपन अपीलाण्ट के नाम ना होना अपीलाण्ट के कथनो को गलत साबित करते हैं। यहॉ यदि यह मान भी लिया जावे कि कन्हई कुछ समय के लिये गॉव छोडकर चले गये तो इससे कन्हई के अधिकारो पर कोई प्रभाव नहीं पडता जैसा कि आरबीजे 2001 पेज 421 पर माननीय राजस्व मण्डल ने तय किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जो यह दर्शा सके कि संवत 2012 में बलवन्त व बद्री ही खातेदार कृषक हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय खातेदारी के अधिकार प्राप्त करने के कतिपय प्रावधान हैं उनके अनुसार या तो वह व्यक्ति जमींदार हो या उपकृषक हो अथवा उपकृषक के अलावा अन्य विधिक प्रावधान के तहत कृषक हो। अपीलाण्ट स्वयं को कन्हई का उपकृषक बताता है प्रथम तो एक उपकृषक दूसरे सह कृषक का उपकृषक नहीं हो सकता। द्वितीय पत्रावली पर कोई साक्ष्य इस प्रकार की नहीं है जो कि अपीलाण्ट के उपकृषक होने के तथ्य को स्वीकार करती हो। जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है सहखातेदारी की भूमि में एक सहकृषक का कब्जा सभी सहकृषको का कब्जा माना जाता है। जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1996 पेज 79, 321, 1986 पेज 226, 1985 पेज 686, आरबीजे 2018 पेज 209, आरआरटी 2015–15 पेज 683 में उद्धरित किया है। प्रतिकूल कब्जे के बारे में माननीय राजस्व मण्डल की बृहदपीठ ने यह तय किया है कि प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त कृषक भूमि पर लागू नहीं होता हैं। इसके अतिरिक्त एक सहकृषक का कब्जा कभी भी दूसरे सहकृषक के विरूद्ध प्रतिकूल नहीं होता एवं किसी सहकृषक की अनुपस्थिति उसके अधिकारो को समाप्त नहीं करती। इस प्रकार रैस्पो0 के पिता कन्हई का 1/2 भाग का खातेदार कृषक होना तथा उसका नाम लोपित किया जाना बखूबी साबित है तथा उसका नाम अनाधिकृत रूप से बिना किसी अधिकार के लोपित किया जाना भी साबित है। अपीलाण्ट ने अपील मीमो में यह कहीं नहीं दर्शाया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन किस प्रकार विधि विरूद्ध है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2018 पेज 153, आरआरटी 2020(2) पेज 1072, 2017(2) पेज 1139, आरआरडी 1984 पेज 42, 1985 पेज 686, 1968 पेज 226, 1987 पेज 321, आरबीजे 1999 पेज 515, 2001 पेज 421, आरआरटी 2017(1) पेज 385, आरआरडी 1987 पेज 492 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित छः तनकीयॉ कायम की गयी हैं। जिनमें तनकी संख्या 01 महत्वपूर्ण तनकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को तय करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर वहक वादी रैस्पो0 विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट तय की है। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की आपत्ति का सार यह है कि कन्हई विवादित आराजी को संवत 1992 में छोडकर ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधि...
भरतपुर कैम्प धौलपुर

राजपुर में जाकर बस गये एवं विवादित आराजी का बलवंत व बद्री को सरकारी लगान पर दे गये, तभी से विवादित आराजी पर बलवंत व बद्री का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं संवत 2022 में दौराने बंदोबस्त कब्जे के आधार पर विवादित आराजी अकेले अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष बलवंत व बद्री के नाम आ गयी। हमने गौर किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2018–21 में विवादित आराजी पर कन्हई 1/2 भाग का एवं बलवंत व बद्री 1/2 भाग के खातेदार कृषक दर्ज हैं एवं इस तथ्य बाबत् अपीलाण्ट की भी स्वीकारोक्ति है कि कन्हई विवादित आराजी में 1/2 भाग का खातेदार था। अपीलाण्ट की यह भी स्वीकारोक्ति है कि विवादित आराजी कब्जे के आधार पर दौराने बन्दोबस्त अकेले उनके नाम खातेदारी में आ गयी। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त अंकन, दौराने भू प्रबन्ध परिवर्तित हुए हैं। हमारी दृष्टि में भू प्रबन्ध के अंकन क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अवैध हैं। क्योंकि भू प्रबन्ध विभाग राज़स्व अभिलेखों में अपने स्तर पर परिवर्तन करने के लिए सक्षम नही है, उन्हें केवल पूर्व के इन्द्राजो को दोहराने होते हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जो यह दर्शा सके कि संवत 2012 में बलवंत व बद्री ही खातेदार कृषक हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के कतिपय प्रावधान है उनके अनुसार या तो वह व्यक्ति जमींदार हो या उपकृषक हो अथवा उपकृषक हो अथवा उपकृषक के अलावा अन्य विधिक प्रावधान के तहत कृषक हो। अपीलाण्ट स्वयं को कन्हई का उपकृषक बताता है प्रथम तो एक सहकृषक दूसरे सहकृषक का उपकृषक नहीं हो सकता द्वितीय पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी नहीं है, जो कि अपीलाण्ट को उपकृषक होने के तथ्य को स्वीकार करती हो। जहॉ तक विवादित आराजी पर कब्जे का प्रश्न है, सहखातेदारी की भूमि में एक सहकृषक का कब्जा समस्त सहकृषको का कब्जा माना जाता है। इसके अलावा अपीलाण्ट कन्हई को ग्राम अजीतापुरा छोडकर चले जाना भी कथन करते हैं। तर्क के लिये यदि कन्हई कुछ समय के लिये गॉव छोडकर चले भी गये थे, तो भी इससे कन्हई के खातेदारी अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट अपने जिम्में की किसी भी तंनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2002 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर